कार्यालय –जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक –/प्र0श्रे0लि0–4/ 5705–14 /2018–19 दिनांक 19.5.18

प्रबन्धक,

एम0डी0एम0पब्लिक स्कूल

छतमरा कानपुर नगर

कानपुर।

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनॉक 08–05–2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 10–05–2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं **एम0डी0एम0 पब्लिक स्कूल छतमरा कानपुर– नगर** को शैक्षिक सत्र 2018–2019 से **कक्षा 1 से कक्षा 8** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता /संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध–2)के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा, और वह अधिनियिम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित संनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II.किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III.उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

IV.उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI.अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

VII.अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

VIII.अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठकम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है–

क0सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	4126.45 वर्ग मी0
2	कुल निर्मित क्षेत्र	3143.75 वर्ग मी0
3	कीडा स्थल का क्षेत्रफल	3000 वर्ग मी0
4	कक्षाओं की संख्या	14
5	प्रध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डारागार के लिए कक्ष	4
6	बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	4/4
7	पेय पल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/कीडा एवं कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

MANAGER
MDM PUBLIC SCHOOL
KNOWLEDGE PARK, PLOT NO.-52
CHHATMARA, KANPUR-NAGAR
(UP) -PIN-209402

9–विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10–विद्यालय भवनो या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये । और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018–19..44है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17–संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18–विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्र0श्रे0लि0–4/ 5705-14 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
5– अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
6– पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
7– संबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
8– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

Tripathi

Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

MANAGER
MDM PUBLIC SCHOOL
KNOWLEDGE PARK, PLOT NO.-52
CHHATMARA, KANPUR-NAGAR
(UP) -PIN-209402